निजीकरण की दिशा में बढ़ते कदम

नेसार अहमद

यह लेख सार्वजनिक-निजी साझेदारी के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी के निजीकरण की दिशा में की गई पहल पर टिप्पणी करता है।

राजस्थान सरकार राज्य में बुनियादी सामाजिक सेवाओं जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) के रूप में निजी क्षेत्रों के हवाले करने का मन बना चुकी है। पिछले महीने राज्य सरकार ने प्रथम चरण में राज्य के 2082 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 90 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पीपीपी के रूप में संचालन के लिए निजी क्षेत्र को देने का फैसला किया है।[1] स्कूली शिक्षा में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी की नीति 2015 का मसौदा भी जारी किया।[2] हालांकि इस नीति को अन्तिम रूप दिया जाना अभी बाकी है, परन्तु अखबारों के अनुसार राज्य के पांच स्कूलों को निजी कंपनियों को दिया जा चुका है।[3] साथ ही राज्य में 10 हजार आगंनबाड़ी केन्द्रों का संचालन भी निजी क्षेत्र को पीपीपी के रूप में दिए जाने की चर्चा है। निजी क्षेत्र द्वारा संचालित इन आंगनबाड़ी केन्द्रों को, देश के अन्य राज्यों की तरह, 'नन्द घर' के नाम से जाना जाएगा।

सामाजिक सेवाओं में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के पक्ष में तर्क यह दिया गया है कि सरकार द्वारा काफी बड़ा बजट आवंटन किए जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन ठीक नहीं होता तथा इनके परिणाम निजी क्षेत्रों के स्कूलों तथा अस्पतालों की तुलना में अच्छे नहीं हैं। परन्तु हम यह जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा तथा स्वास्थ्य का बजट बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए, शिक्षा पर देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तथा स्वास्थ्य पर 3 प्रतिशत तक खर्च किए जाने का संकल्प सरकार ने लिया है। देश में शिक्षा पर देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा और स्वास्थ्य पर 1 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है।[4] राजस्थान में भी शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमश 3 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

राजस्थान में स्कूली शिक्षा में निजी भागीदारी की नीति का मसौदा

राजस्थान सरकार के मसौदा नीति पत्र में स्कूली शिक्षा में निजीकरण को लाने का कारण ''राज्य में शिक्षा में बजट के खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता का गिरता स्तर'' बताया गया

है। मसौदे में दावा किया है कि, ''निजी स्कूलों में प्रति छात्र कम खर्च के बावजूद सीखने का स्तर बेहतर रहा है।''

विडंबना यह है कि सरकार ने इस मसौदे में संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार कानून का ज़िक्र तक नहीं किया है। मसौदे में जिन चार प्रकार की भागीदारी की बात की गई है उनमें से एक प्रकार की भागीदारी में निजी क्षेत्र 60 प्रतिशत बच्चों से फीस वसूल सकेगा, जो शिक्षा का अधिकार कानून का उल्लंघन है। जाहिर है सरकार की मंशा शिक्षा पर सरकारी खर्च में और कटौती करने की है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकारी शिक्षकों तथा गैर-शैक्षिक कर्मचारियों का क्या होगा। मसौदा में कहा गया है कि सरकार बच्चों को मुफ्त किताबें, मध्याह्न भोजन तथा अन्य लाभ देती रहेगी। प्रति छात्र फीस का भुगतान सरकार द्वारा न्यूनतम बोली के आधार पर किया जाएगा। सरकार स्कूल चलाने वाली निजी संस्था को कोई स्टाफ नहीं देगी।

राज्य में शिक्षा बजट

''शिक्षा पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी'' तथा ''निजी स्कूलों में प्रति छात्र कम खर्च'' के दावे की गहरी पड़ताल करने की आवश्यकता है। मसौदा नीति में इस दावे के समर्थन में किसी अध्ययन का हवाला नहीं दिया गया है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में शिक्षा बजट में बढ़ोतरी औसतन 10 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से होती रही है, केवल एक वर्ष को छोड़कर। परन्तु यदि शिक्षा बजट की तुलना राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) से करें तो राज्य में शिक्षा को आवंटन वर्ष 2010-11 में जी.एस.डी.पी. के 3.03 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2013-14 में 2.97 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में शिक्षा बजट जी.एस.डी.पी. का 3.99 प्रतिशत हो गया, क्योंकि उस वर्ष से केन्द्र से प्राप्त सर्व शिक्षा अभियान तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की राशि राज्य बजट में दिखाई जाने लगी। परन्तु जब वर्ष 2015-16 का बजट पेश हुआ तो वर्ष 2014-15 के आवंटन को संशोधित कर उसमें लगभग 2300 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई तथा यह जी.एस.डी.पी. का 3.58 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2015-16 में भी 2014-15 के मुक़ाबले मात्र 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई तथा वर्तमान वर्ष का शिक्षा को कुल आवंटन जी.एस.डी.पी. का मात्र 3.48 प्रतिशत ही है।[5] जाहिर है पूरे देश की तरह राजस्थान में भी शिक्षा का बजट सरकारों के अपने संकल्प से लगभग आधा ही है।

प्रति छात्र व्यय

राज्य के प्राथमिक स्कूल में प्रति बच्चे खर्च, शिक्षकों को देय वेतन सहित, 17 हजार रुपये वार्षिक है, जबकि कुल खर्च लगभग 22,410 रुपये वार्षिक है।[6] इसकी तुलना केन्द्रीय विद्यालयों से कर सकते हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हैं तथा जिनका शिक्षा का स्तर तथा परिणाम आमतौर पर बेहतर माना जाता है। केन्द्रीय विद्यालयों में प्रति छात्र खर्च भी 2013-14 में 24,064 रुपये था जो अब बढ़कर लगभग 27,900 रुपये प्रति छात्र हो गया है।[7] जाहिर है राज्य सरकार को न केवल शिक्षा बजट बढ़ाने की आवश्यकता है बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विशेष उपाय भी करने की जरूरत है।

निजी स्कूलों के परिणाम कितने अच्छे

निजी स्कूलों में बेहतर शिक्षा तथा कम खर्च का दावा भी किसी अध्ययन पर आधारित नहीं है। कम खर्च वाले निजी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से शायद कम आता हो, परन्तु इन स्कूलों की गुणवत्ता सरकारी स्कूलों से अच्छी है, यह नहीं कहा जा सकता। महंगे निजी स्कूलों में प्रति छात्र खर्च सरकारी स्कूलों से कहीं अधिक है।

पिछले कई वर्षों की असर (ASER) रिपोर्ट दिखाती हैं कि निजी स्कूलों में सीखने का परिणाम सरकारी स्कूलों से बेहतर है परन्तु पिछले वर्षों में दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर काफी गिरा है। वास्तव में वर्ष 2014 में सरकारी स्कूलों के परिणाम सुधरे हैं जबकि निजी स्कूलों के परिणामों में गिरावट आई है। असर 2014 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवीं के ऐसे छात्र जो दूसरी कक्षा की किताबों को पढ़ सकते हैं उनका प्रतिशत सरकारी स्कूलों में 2013 में 41.1 प्रतिशत था, जो 2014 में 42.2 प्रतिशत हो गया जबकि निजी स्कूलों में ऐसे छात्रों का प्रतिशत

2013 में 63.3 प्रतिशत से कम होकर 2014 में 62.5 प्रतिशत रह गया। पिछले वर्षों के रुझान दिखाते हैं कि शिक्षा के स्तर में गिरावट निजी तथा सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में बदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवीं के छात्र जो दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ सकते हैं उनका प्रतिशत सरकारी स्कूलों में 50.7 प्रतिशत (2010) से घटकर 42.2 प्रतिशत (2014) रह गया जबकि निजी स्कूलों में यह 64.2 प्रतिशत (2010) से घटकर 62.2 प्रतिशत (2014) रह गया है।[8]

जहां तक प्रति छात्र खर्च की बात है, निजी स्कूलों में बढ़ते ट्यूशन खर्च को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूशन लेने वाले छात्रों का प्रतिशत निजी स्कूलों में बढ़ रहा है जबकि सरकारी स्कूलों में यह प्रतिशत स्थिर है।

ज़ाहिर है कि सीखने के बेहतर परिणाम केवल स्कूल के प्रकार पर निर्भर नहीं करते। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के माता-पिता आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से बेहतर होते हैं। असर रिपोर्ट 2014 में असर 2009 के आंकड़ों का विश्लेषण करके यह पाया गया है कि अगर अन्य कारकों/तथ्यों को नियंत्रित करके सरकारी तथा निजी स्कूलों के सीखने का परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो सरकारी तथा निजी स्कूलों के अंतर में काफी कमी आ जाती है। असर रिपोर्ट बताती है कि सीखने के परिणामों में अंतर का दो-तिहाई स्कूल के प्रकार के अलावा अन्य कारणों से होता है।[9]

साथ ही सरकारी स्कूलों के प्रंबधन को निजी क्षेत्रों के हवाले कर देने से सभी प्रकार के राजनैतिक तथा वैचारिक संगठनों के लिए स्कूली शिक्षा में अपनी विचार धारा को थोपने के दरवाजे खुल जाएंगे जो भारतीय संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना पूरी तरह से विचार किए यह मसौदा जारी किया है। आवश्यकता सरकारी स्कूलों को और सशक्त करने की है जिसके लिए जरूरी है बजट में वृद्धि, शिक्षा का अधिकार कानून का ठीक से लागू किया किया जाना, स्कूल प्रंबधन समितियों का सशक्तिकरण तथा लोगों की सक्रिय भागीदारी।

इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों के उचित संचालन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल किए गए समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य बजट तथा आधारभूत ढांचे को ठीक करने से काफी सहायता मिल सकती है। अगर सरकारी स्कूलों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों के ठीक से चलाए जाने के लिए एक दूसरे प्रकार के पीपीपी की आवश्यकता है। यह जनता की भागीदारी बढ़ाने से संभव है। गांव के लोग, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तथा जिन्हें अपना इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर करवाना पड़ता है, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए तो फिर इन सेवाओं में सरकार को निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

संदर्भ

1. राज्य सरकार के केबिनेट का 16 जून 2015 का फैसला
2. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की वेबसाइट (http://rajshiksha.gov.in/pdf/PPP_Education_V_18052015.pdf) पर उपलब्ध
3. http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Activists-fume-as-govt-gives-five-schools-to-private-players/articleshow/47951281.cms
4. रेसपोन्स टू यूनियन बजट, 2015-16, सी.बी.जी.ए, नई दिल्ली
5. बजट समाचार, अप्रैल-जून 2015, बार्क, जयपुर
6. राजस्थान सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर आवंटित कुल बजट तथा डाइस के अनुसार राज्य के स्कूलों में नियोजित कुल छात्रों की संख्या पर आधारित
7. केन्द्रीय विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा आवंटित कुल बजट तथा सितम्बर 2014 में उन विद्यालयों में नियोजित कुल छात्रों की संख्या पर आधारित

8-9. असर रिपोर्ट 2014

लेखक परिचयः नेसार अहमद जयपुर स्थित बजट अध्ययन राजस्थान केंद्र (बार्क) के समन्वयक हैं।